In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and future.

साररूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन् समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्त्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो।

However, given the diverse interests and ambitions of people any form of social living requires some rules and regulation. These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals but it is recognised that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves.

लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएँ तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएँ हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और एसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें।

In political theory much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions. There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economic structures of a society. In this chapter we will look at some of these debates.

राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा एसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है. जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद-विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएँ होनी चाहिए. जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएँ प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ एसी ही चर्चाओं पर एक नज़र डालेंगे।

After studying this chapter you should be able to:

- Understand the importance of freedom for individuals and societies.
- Explain the difference between the negative and positive dimensions of freedom.
- Explain what is meant by the term 'harm principle'.

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप-

- व्यक्ति और समाज दोनो के लिए स्वतंत्रता के महत्त्व को समझंगे।
- स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे।
- यह समझ पाएँगे की 'हानि सिद्धांत' का क्या मतलब है।

WHAT IS FREEDOM?

A simple answer to the question 'what is freedom' is absence of constraints. Freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent.

स्वतंत्रता क्या है?

"स्वतंत्रता क्या है?" इस पश्न का एक सीधा-सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है।

decisions and act in an autonomous way. However, absence of constraints is only one dimension of freedom. Freedom is also about expanding the abilityof people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities.

हालाँकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म-अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है. जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें।

Both these aspects of freedom — the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which people can develop their talents — are important. A free society would be one which enables all its में समर्थ बनाएगा। members to develop their potential with the minimum of social constraints.

बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और एसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहल महत्त्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा, जो अपन सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा।

A free society is one that enables one to pursue one's interests with a minimum of constraints. Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgement. It permits the exercise of the individual's powers of reason and judgement.

स्वतंत्र समाज वह होता है, जिसमें व्यक्ति अपने हित संवधन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमल्य माना जाता है, क्यों कि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं।

WHY DO WE NEED CONSTRAINTS?

We cannot live in a world where there are no constraints. We need some constraints or else society would descend into chaos. Differences may exist between people regarding their ideas and opinions, they may have conflicting ambitions, they may compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreements may develop in a society which may express themselves through open conflict. We see people around us ready to fight for all kinds of reasons ranging from the serious to the trivial. Rage while driving on the roads, fighting over parking spaces, quarrels over housing or land, disagreements regarding whether a particular film should be screened, all these, and many other issues, can lead to conflict and violence, perhaps even loss of life. Therefore every society needs some mechanisms to control violence and settle disputes. So long as we are able to respect each other's views and do not attempt to impose our views on others we may be able to live freely and with minimum constraints. Ideally, in a free society we should be able to hold our views, develop our own rules of living, and pursue our choices.

हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है?

हम एसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुँच जाएगा। लोगों के बीच मत-मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्त्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे-बडे कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पाकिंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लडाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जन हानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निबटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना ज़रूरी होता है। जब तक हम एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए।

But the creation of such a society too requires some constraints. At the very least, it requires that we be willing to respect differences of views, opinions and beliefs. However, sometimes, we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from or reject our views. We see their views or ways of living as unacceptable or even undesirable. Under such circumstances we need some legal and political restraints to ensure that differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its views on the other. Worse still, we may be confronted with attempts to bully or harass us so that we conform to their wishes. If so, we may want stronger support from law to ensure that my freedom is protected.

लेकिन एसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह ज़रूरी होती है कि हम विचार. विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी-कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सबका विरोध करें, जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शेली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं। एसी स्थिति में कुछ एसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद-विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। एसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज्यादा ज़रूरत होती है।

HARM PRINCIPLE

To answer these questions satisfactorily we have to address the issue of the limits, competence, and consequences of the imposition. We also have to engage with another issue that John Stuart Mill stated so eloquently in his essay On Liberty. In the discussions in political theory it is called the 'harm principle'. Let us quote his statement and then try to explain it.

'हानि सिद्धांत'

इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध. सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध 'ऑन लिबर्टी' में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे 'हानि सिद्धांत' कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पने का प्रयास करें।

...the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.

"सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्म-रक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शिक्त के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।"

Mill introduces here an important distinction. He distinguishes between 'selfregarding' actions, i.e., those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else, and 'other regarding' actions, i.e., those actions that also have consequences for others. He argues that with respect to actions or choices that affect only one's self, selfregarding actions, the state (or any other external authority) has no business to interfere.

मिल ने यहां एक महत्त्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने 'स्वसंबद्ध' और 'परसंबद्ध' कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबद्ध वे कार्य हैं, जिनके प्रभाव केवल इन कायों को करने वाले व्यक्ति पर पडते हैं जबिक परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है।

Or put in simple language it would be: 'That's my business, I'll do what I like', or 'How does it concern you, if it does not affect you?' In contrast, with respect to actions that have consequences for others, actions which may cause harm to them, there is some case for external interference. After all if your actions cause me harm then surely I must be saved from such harm by some external authority? In this case it is the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else.

आसान शब्दों में कहें तो. स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि 'ये मेरा काम है. मैं इसे वैसे करूँगा. जैसा मेरा मन होगा।' या "अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है?" इसके विपरीत एसे कायों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है, तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को एसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुँचाता हो।

However, as freedom is at the core of human society, is so crucial for a dignified human life, it should only be constrained in special circumstances. The 'harm caused' must be 'serious'. For minor harm, Mill recommends only social disapproval and not the force of law.

चुँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इसपर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली 'हानि' गंभीर हो। छोटी-मोटी 'हानि' के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है।

People should be ready to tolerate different ways of life, different points of view, and the different interests, so long as they do not cause harm to others. But such tolerance need not be extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred against them. Hate campaigns cause serious harm to the freedom of others and actions that cause 'serious harm' are actions on which constraints can be imposed. But we must make sure that the constraints imposed are not so severe that they destroy freedom itself. For example, we must not ask for life imprisonment for those who only conduct hate campaign. Maybe some restriction on their movement, or some curtailment of their right to hold public meetings can be considered especially if they continue to carry on this campaign in spite of warnings by the state to desist from conducting such campaigns.

लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग-अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए, जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुँचाने लगे। लेकिन एसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कायों तक करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षित पहुँचाने वाले कायों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हों कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की माँग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है।

In the constitutional discussions in India, the term used for such justifiable constraints is 'reasonable restrictions'. The restrictions may be there but they must be reasonable, i.e., capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion to the action being restricted,

भारत में संवैधानिक चर्चाओं में एसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके।

NEGATIVE AND POSITIVE LIBERTY

Earlier in the chapter we had mentioned two dimensions of freedom school— freedom as the absence of external constraints, and freedom as the expansion of opportunities to express one's self. In political theory these have been called negative and positive liberty. 'Negative liberty' seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could 'do, be or become' whatever he or she wished to 'do, be or become'. This is an area in which no external authority can interfere.

सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता

इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र का पहचानने और बचान का पयास करती है. जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो। जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हा सके, बन सके और कर सके। यह एसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा-सा पवित्र क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

Positive liberty discussions have a long tradition that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. It is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. The individual is like a flower that blossoms when the soil is fertile, and the sun is gentle, and the water is adequate, and the care is regular

सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है। जिससे रूसो. हेगेल. मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवराध रहे। व्यक्ति एक प्ष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो तभी वह खिल पाता है।

The individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive conditions in material, political and social domains. That is, the person must not be constrained by poverty or unemployment; they must have adequate material resources to pursue their wants and needs. They must also have the opportunity to participate in the decision making process so that the laws made reflect their choices, or at least take those preferences into account. Above all, to develop their mind and intellect, individuals must have access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonably good life.

व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ग़रीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरूद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि-विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए।

Positive liberty recognises that one can be free only in society (not outside it) and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society, outside this area, as such. Of course negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible keeping in mind, however, the stability of society.

सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को एसा बनाने का प्रयास करते हैं. जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी।

Freedom of Expression

Remember Voltaire's statement — 'I disapprove of what you say but I will defend to death your right to say it'

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

वाल्तेयर का कथन याद करें, "'तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा।"